	Nicobar Islands and Lakshadweep.	are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, Grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Director (Museum) - Chairman; 2. Director(Handicrafts) – Member; 3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member.	Not applicable.

[F. No. 02/36/2022-NCM&HKA(Comp. No.49600]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहॉ तक उनका संबंध स्वागतकर्ता, अवर श्रेणी लिपिक (पुस्तकालय), भंडार लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में स्वागतकर्ता–सह–लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, स्वागतकर्ता–सह–लिपिक, वीथी सहायक, गाइड लेक्चरर, सुरक्षा हवलदार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्वागतकर्ता–सह–लिपिक	*03 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नतिः	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।

			टिप्पण 2:— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3**:— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. गाइड लेक्चरर	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500–81100 रु.) में ऐसे वीथी सहायक जिन्होने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) द्वारा– केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वा"ाासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारियों में से:– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500–81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो और (ख) जो स्तंभ (11) के अधीन प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा,	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** :– (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय)– अध्यक्ष; (ii) निदेशक (हस्तशिल्प)– सदस्य; (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता।

			परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नही है तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2**:– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3**:– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सुरक्षा हवलदार	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200 रु.)	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती हैं।) **टिप्पण**: आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक**: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण **टिप्पण 1**: अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

New Delhi, the 3rd August, 2023

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum Group `C' Posts Recruitment Rules, 2016, in so far as they relate to the posts of Receptionist, Lower Division Clerk (Library), Store Clerk, Gallery Assistant, Guide Lecturer, Security Man, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Receptionist-Cum-Clerk, Gallery Assistant, Guide Lecturer, Security Man in the Office of the Development Commissioner (Handlooms), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Receptionist-Cum-Clerk, Gallery Assistant, Guide Lecturer, Security Man (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Receptionist-Cum-Clerk	03 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200)	Non-selection	Not applicable	Not applicable

			half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Guide Lecturer	*01 (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200 – 92300).	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)	**Promotion:** Gallery Assistant in level-4 in the pay matrix Rs. 25500-81100 and who have rendered five years regular service in the grade rendered after the appointment thereto on regular basis. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.SeniorDirector (Museum)-Chairman; 2Director (Handicrafts) -Member;	Not applicable.

			Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or recognised research institutes:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4 of the pay matrix Rs. 25500-81100 or equivalent in the parent cadre or Department. (b) possessing the educational qualifications prescribed for promotees under column (11). **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).	3. Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum-Member.	